भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2065

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

टोल से छूट

†2065. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल के भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उस पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण लागत और जीएसटी छूट में राज्य के हिस्से को ध्यान में रखते हुए एनएच-66 से एकत्र किए गए टोल को राज्य के साथ साझा करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने केएसआरटीसी (केरल राज्य सड़क परिवहन निगम) के टोल भुगतान से छूट के अनुरोध की जांच की है और यदि हां, तो उस पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने टोल भुगतान के कारण केएसआरटीसी पर प्रति माह दो करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार केएसआरटीसी के संकट पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या केंद्र सरकार राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को हतोत्साहित करती है और यदि हां, तो केएसआरटीसी को छूट देने के लिए की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधान राज्य सड़क परिवहन निगमों के स्वामित्व या संचालित वाहनों सहित, उनके स्वामित्व पर विचार किए बगैर, सभी प्रकार के परिवहन वाहनों पर लागू होते हैं।

वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोग के लिए राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों को प्रयोक्ता शुल्क (टोल) के भुगतान से छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर शुल्क प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 और संबंधित रियायत करारों के प्रावधानों के अनुसार पूरे देश में एक समान रूप से संग्रहित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा केरल सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क से संग्रहित किया गया राजस्व भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता

है। भारत की संचित निधि (सीएफआई) से बजटीय आवंटन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, विकास और विस्तार के लिए किया जाता है।

केरल सरकार के अंशदान के कारण राज्य में भूमि अधिग्रहण (एलए) की अत्यधिक लागत के बावजूद परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जा सकी है। केरल में एनएच 66 के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण (एलए) की कुल लागत लगभग 23,350 करोड़ रुपये और निर्माण लागत लगभग 28,370 करोड़ रुपये है। कुल लागत में राज्य सरकार का अंशदान 5,800 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से अवसंरचना के विकास से स्थानीय लोगों को समग्र सामाजिक और आर्थिक लाभ होता है। इस प्रकार के विकास से कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें कस्बों और शहरों का विस्तार और राज्य के भीतर व्यापक आर्थिक विकास शामिल है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क सभी राज्यों में एक समान रूप से वसूला जाता है, जिसमें राज्य परिवहन बसें भी शामिल हैं। मौजूदा नियमावली के तहत राज्य परिवहन उपक्रमों को प्रयोक्ता शुल्क के भुगतान से कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के अंतर्गत पहले से ही विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं, जिनमें देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों का बार-बार उपयोग करने वालों को प्रयोक्ता शुल्क से छूट (**अनुलग्नक** में संलग्न) प्रदान की गई हैं। ये लाभ केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के लिए भी उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक

"टोल से छूट" के संबंध में श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पूछे गए दिनांक 30.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 2065 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध छूटों और रियायतों का विवरण:

(i) किसी विशेष जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए: शुल्क प्लाजा जिस जिले में स्थित है, उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड़ या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

(ii) नियमित प्रयोक्ताओं के लिए मासिक पास की सुविधा: नियमित प्रयोक्ताओं के लिए एक माह में 50 एकल यात्राओं के लिए 2/3 शुल्क का भुगतान करके मासिक पास का प्रावधान है।

(iii) आना-जाना 24 घंटों के भीतर करने के लिए एकल यात्रा शुल्क का डेढ़ गुना भुगतान करके पास प्राप्त किया जा सकता है।
